

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

प्रभु वर्गरठ

बनाम

भूमिदारी तहसीलदार (रावतभाटा)

किस्म मुकदमा



प्रा. पर

नं०

84

सन्

2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
<p>25⁰³ 2026</p>	<p>पत्रावली भेजा हुई। अय पक्षकारान्त उपस्थित। वकील प्राधी द्वारा निवेदन किया कि वेने पक्ष के बीच मौके पर समाधान हो गया है तथा प्राधी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में निवेदन किया। अतः प्रकरण में प्राधी की ओर से कोई कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रा.पर धारा-251 (क) स.टि.एक्ट इसी स्तर पर विद्वे में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेराल बुमार होकर दर्ज रजिस्टर से काम की जाकर क्षारिज प्रकर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	<p>मौके पर समाधान हो गया है कार्यवाही नहीं चाहता है</p> <p></p>